IV 79/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 074453

वरिष्ठ कोषाधिकारी
30 OCT 2018
गाजीपुर

राजधारी सिंह फाउण्डेशन (Rajdhari Singh Foundation)

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 31/10/18 को सैदपुर, गाजीपुर में बिनीत सिंह पुत्र श्री रामा सिंह, ग्राम – मिर्जापुर पोस्ट– मिर्जापुर, विकास खण्ड– सादात, व तहसील सैदपुर, जनपद – गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर 5000/–(पाँच हजार रुपये) की राशि है जिसे वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यायकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्याय बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट राजधारी सिंह फाउण्डेशन के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

Bineet Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 282765

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार –पत्रों इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं, परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु अनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि संविधाओं की व्यवस्था करना।
16. प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजो, इंजिनियरिंग कालेजों, को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उनका प्रचार–प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र/ पत्रिकायें, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्री, कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/ मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरणीय सुधार, ससर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलो का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।

Bineet Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 282766

31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनो एंव कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों , विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट के विस्तार हेतु ट्रस्ट भारत वर्ष के किसी भी राज्य, शहर एवं जिले में (दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर इत्यादि) अचल सम्पत्ति के रूप में भूमि, भवन का क्रय कर सकता है अथवा उसे किराये पर ले सकता है।
36. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत भारत वर्ष के किसी भी राज्य, शहर अथवा जिले में होटल, मॉल, मल्टीस्टोरीज इत्यादि अचल सम्पत्तियों को खरीदा, बेचा अथवा उसका संचालन किया जा सकता है
37. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवायें/ वस्तुओं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खण्डजा, तालाबों, का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन, आदि का प्रचार कर सकना।
38. ट्रस्ट केवल वित्तिय लाभ के लिये ही कार्य नही करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
39. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
40. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।
41. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयता व निर्यात करना।
42. पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, डेयरी फार्म का संचालन एवं उनका विपणन तथा गौशाला इत्यादि का निर्माण एवं संचालन करना।
43. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला,प्रदेश एवं देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
44. दलित/ पिछड़ों / अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर , राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।

Beneet Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 282767

45. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी,सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।
46. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलों का निर्माण करना।
47. आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट किसी भी अन्य ट्रस्ट/ सोसायटी/ फर्म/ कम्पनी/ संस्थान को अपने में विलय अथवा समायोजित कर सकता है अथवा उनका संचालन अपने ट्रस्ट के माध्यम से कर सकता है। विलय/समायोजन की स्थिति में वे सारे अधिकार इस ट्रस्ट को प्राप्त होगें जो कि इसके उपबन्धों/ट्रस्ट डीड में दिये गये हैं।

प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **बिनीत सिंह** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/ हस्तानान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का पद किसी को भी प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

Binet Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

17 SEP 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 788985

RIAL No 1945
TF 28/2/20

OTARY
H.Q. SAIDPUR
AZIPUR U.P

राजधारी सिंह फाउण्डेशन – बोर्ड आफ ट्रस्टीज

आज दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को राजधारी सिंह फाउण्डेशन की बैठक संगठन के मुख्यालय पर आयोजित हुई। जिसमें राजधारी सिंह फाउण्डेशन ट्रस्ट के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन करने का निश्चय किया गया। निम्नलिखित व्यक्ति आज से बोर्ड आफ ट्रस्टीज में होंगे –

क्रम संख्या	सदस्यों का नाम	पता	पद
1.	राजू सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह	हिराम्बरपुर, माहपुर, गाजीपुर।	ट्रस्टी
2.	बच्चा सिंह पुत्र रामराज सिंह	मिर्जापुर, बहरियाबाद, गाजीपुर।	ट्रस्टी
3.	धनन्जय सिंह पुत्र कैलाश नाथ सिंह	मिर्जापुर बहरियाबाद, गाजीपुर।	ट्रस्टी
4.	ऋषिकेश तिवारी पुत्र आनन्द तिवारी	औड़िहार, सैदपुर, गाजीपुर।	ट्रस्टी
5.	रामा सिंह पुत्र स्व0 राजधारी सिंह	मिर्जापुर बहरियाबाद, गाजीपुर।	ट्रस्टी
6.	विजय कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह	दौलतनगर, सादात, गाजीपुर।	ट्रस्टी

NOTARY
Santosh Kumar
GOVT. OF U.P.
28/2/20